प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बैन्च, नई दिल्ली।

पत्र संख्या 64 /एस0टी0–डी0एम0/गा0बाद दिनांक 18 अप्रैल, 2024

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैन्च, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय अधिकरण में विचाराधीन वाद ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 05–2–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रकरण के सम्बन्ध में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं यूपीसीडा, गाजियाबाद को आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके तत्क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12–4–2024/15–4–2024, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 12–4–2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय यूपीसीडा, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 15–4–2024 को अपनी आख्या प्रस्तुत की है, जिनका उल्लेख स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट में कर दिया गया है।

अतः मा0 अधिकरण में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने हेतु आख्या सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– **यथोपरि।**

भवदीय

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैन्च, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 05–02–2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

1- In this Original Application, grievance of the applicant was that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on GT Road Mile 8/7 Sahibabad Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation at constructed road/pathway on the land earmarked of the park and was also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal in the proceeding dated 30-11-2023 considering the grievance of the applicant had formed a joint Commitee and direct the Commitee to submit the report.
2- The report of the joint Commitee filed on 02-02-2024 does not give full and clear details of the park except for referring to some letter revealing that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony built illegaly is 7120 sq. mtrs.
3- Respondant no. 6 District Magistrate Ghaziabad represented through the Counsel is directed to file the report/response enclosing therewith a copy of the relevant extract of the Master Plan reflecting the position of the park/area of the park and the extent of the free area and encroachment of the park and also the action taken for removal of the encroachment, if any.
4- Learned Counsel has referred to Annexure A-1 filed along with the OA, which is approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony, wherein the park has been clearly shown and its area is reflected as 14400 sq. yards. The District Magistrate should also respond to the said layout plan.

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पत्रांक 77/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 09–04–2024 (संलग्नक–1) व पत्रांक 893/एस0टी0–ए0डी0एम0–इ दिनांक 15–4–2024 के द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपी सीडा, गाजियाबाद (संलग्नक–2) से सन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या आहूत की गयी।

मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 160/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 12–04–2024 (संलग्नक–3) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद का लेआउट प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुनः सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 (संलग्नक–4) जो नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि राजेन्द्र नगर औद्योगिक

कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद के प्रश्नगत लेआउट प्लान की प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में पर्याप्त खोज करायी गयी परन्तु प्राधिकरण एवं इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत लेआउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या 07/न0आ0/2024 दिनांक 12-04-2024 (संलग्नक-5) के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सड़क/पथ का निर्माण नहीं कराया गया है और न ही नाले का निर्माण कराया गया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है, केवल पर्यावरण के दृष्टिगत एवं खाली स्थल पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लगभग 21000 पौधों का पौधारोपण का कार्य कराया गया है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 सीडा, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या 730/एसआईडीए/ दिनांक 15-4-2024 (संलग्नक-6) के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण कार्यालय यूपीसीडा, गाजियाबाद के अधिकार क्षेत्र में नही है। क्षेत्रीय कार्यालय, यूपीसीडा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है।

मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 12-04-2024 एवं सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 15-04-2024 से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0/वाद संख्या 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में संलग्न लेआउट प्लान की पुष्टि नहीं की गयी है। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र में नही होने की पुष्टि की गई है। अतएव पार्क के लिये आरक्षित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद की ओर से दिनांक 12-04-2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी प्रकार के निर्माण किये जाने की स्वीकारोक्ति नहीं की गयी है। पूर्व में राजस्व एवं नगर निगम की टीम द्वारा की गयी सीमांकन की कार्यवाही के उपरान्त प्रेषित आख्या दिनांक 30-01-2024 (संलग्नक-7) जो अपर नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्बोधित है, में पार्क का अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल 10880 वर्ग मीटर पाया गया है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार पार्क सहित आसपास के कुल 12 खसरा नम्बरक्षेत्रफल 51190 वर्ग मीटर भूमि प्रतापचन्द पुत्र ठाकुरदास ग्रामवासी के नाम अद्यतन अंकित है। पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 30-01-2024 में स्थानीय पूछताछ के आधार पर प्रतापचन्द पुत्र ठाकुरदास कलकत्ता के निवासी बताये गये हैं।

उपरोक्त आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

क जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्रांक–77...../ST   दिनांक–09/4/2024

सेवा में,   **मा0 एनजीटी/समयबद्ध प्रकरण**

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विषयः मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न)। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–05.02.2024 मे निम्न निर्देश दिये गये हैः–

1. In this Original Application, grievance of the applicant was that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation had constructed road/pathway on the land earmarked for the park and was also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal in the proceeding dated 30.11.2023, considering the grievance of the applicant, had formed a joint Committee and directed the Committee to submit the report.

2. The report of the joint Committee, filed on 02.02.2024, does not give full and clear details of the park except for referring to some letter 2 revealing that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony built illegally is 7120 sq. mtrs.

3. Learned Counsel for the applicant seeks time to file objection to the report of the joint Committee. Respondent no. 6, District Magistrate Ghazlabd, represented through the Counsel, is directed to file the report/response enclosing therewith a copy of the relevant extract of the Master Plan reflecting the position of the park/area of the park and the extent of the free area and encroachment on the park and also the action taken for removal of the encroachment, if any.

4. Learned Counsel for the applicant has referred to Annexure A-1 filed along with the OA, which is the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony, wherein the park has been clearly shown and its area is reflected as 14400 sq. yards. The District Magistrate will also respond to the said layout plan.

5. Let the response/report by the District Magistrate, Ghaziabad be submitted at least one week before the next date of hearing. It will also be open to the other respondents to file their response at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए ,कृत कार्यवाही की आख्या सहित अधोहस्ताक्षरी का response मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे ससमय फाइल कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मे सुनवाई की अग्रिम तिथि 18.04.2024 नियत है तथा response सुनवाई तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले फाइल किए जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देशित किया है।

भवदीय,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

जिलाधिकारी

Letter_2023_24_Sunil_RO SIR

कार्यालय पर जिलाधिकारी (प्र0), गाजियाबाद।

पत्र संख्या 873 /एस0टी0–ए0डी0एम0–इ/गा0बाद दिनांक 15 अप्रैल, 2024

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
यू0पी0 सीडा, गाजियाबाद।

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–710/2023 (आई0ए0 संख्या 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05–2–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 संख्या 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05–2–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न)। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–2–2024 में निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

1- In this Original Application, grievance of the applicatn was that there was a partk earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation had constructed road/pathway on the land earmarked for the park and was also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal in the proceeding dated 30.11.2023, considering the greivance of the applicant, had formed a joint Committee and directed the Committee to submit the report.

2- The report of the joint Committee, filed on 02-02-2024, does not give full and clear details of the park except for referring to some letter 2 reavealing tha the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony built illegally in 7120 sq. mtrs.

3- Learned Cousel for the applicant seeks time to file objection to the report of the joint committee. Respondent no. 6, District Magistrate Ghaziabad, represented through the Counsel, is directed to file the report/response enclosing therewith a copy of the relevant extract of the Master Plan reflecting the position of the park/area of the park and the extent of the free area and encroachment on the park and also the action taken for removal of the encroachment, if any.

4- Learned Counsel for the applicant has referred to Annexure-A-1 filed along with th e OA, which is the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony, wherein the park has been clearly shown and its area is reflected as 14400 sq. yards. The District Magistrate, Ghaziabad be submitted at least one week before the date of hearing. It will also be open to the other respondents to file their response at least on week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF.

उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही की आख्या सहित अधोहस्ताक्षरी का response मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ससमय फाइल कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त संलग्न नक्शे पर भी सत्यापन कराकर उपलब्ध करायें।

प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि 18–4–2024 नियत है तथा response सुनवाई तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले फाइल किये जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देशित किया है।

संलग्न :– यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

गाजि[illegible] विकास प्राधिकरण

[illegible]स पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या 160 /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 12.5.24

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No. 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Others में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक 77/ST-DM/2024 दिनांक 09.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र में उल्लेखित राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी0टी0 रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी0टी0 रोड, साहिबाबाद प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

12/5/24

मुख्य नगर नियोजक

पृ0 सं0: /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1– सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या : 162 /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक : 15-4-24

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा मे,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः **राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी0टी0 रोड, साहिबाबाद गाजियाबाद का ले–आउट प्लान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उद्यान प्रभारी, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 433/2024–25 दिनांक 10.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी0टी0 रोड, साहिबाबाद गाजियाबाद का ले–आउट प्लान उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

सादर अवगत कराना है कि राजेन्द्र नगर औद्योगिक कॉलोनी, साहिबाबाद के प्रश्नगत ले–आउट प्लान की प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में पर्याप्त खोज करायी गयी परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत ले–आउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय
15/4/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन सं0 /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोनार्थ।
3. प्रभारी–उद्यान, नगर निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सचिव

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 07 /न0आ0/2024 दिनांकः 12/04/2024

ADM-F

प्रेषकः

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

A.S.D.M GZB

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः विषयः मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No- 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र सं0-77/एस.टी.डी.एम./2024 दिनांक 09.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय आख्या तैयार कराकर पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

12/4/24

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

उद्यान प्रभारी/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महोदय

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-710/2023 (आई0ए0-835/2023) सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-05.02.2024 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद की ओर से आख्या निम्नवत् है:-

1. यह कि प्रश्नगत ओ0ए0/वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.11.2023 के द्वारा एक संयुक्त कमैटी का गठन करते हुये अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये। जिसके क्रम में संयुक्त कमैटी द्वारा दिनांक-20.01.2024 को स्थलीय निरीक्षण कर आपनी आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रेषित की गयी जिसमें नगर निगम व तहसील स्टाफ द्वारा स्थल की पैमाईश कर यह आख्या प्रेषित की गयी कि विवादित स्थल राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क में 10880 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अतिक्रमण मुक्त है तथा 7120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 25-30 वर्षो से बाबूजगजीवन राम कालौनी अवैध रूप से बसी हुयी हैं, जिसका उल्लेख मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक-05.02.2024 में भी किया गया है। बाबू जगजीवन राम कॉलौनी 7120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 30 वर्षो से अधिक समय से अवैध रूप से स्थापित है।
2. यह भी अवगत कराना है कि उक्त पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सड़क/पथ का निर्माण नहीं कराया गया है और न ही नाले का निर्माण कराया गया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है केवल पर्यावरण के दृष्टिगत एवं खाली स्थल पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा खाली स्थल पर लगभग 21000 पोधों का सघन पौधारोपण का कार्य कराया गया है।
3. प्रश्नगत ओ0ए0 में दिनांक-05.02.2024 को पारित आदेशों में मा0 अधिकरण ने वादी द्वारा अपनी ओ0ए0 में दाखिल राजेन्द्र नगर ओद्यौगिक क्षेत्र के (मास्टर प्लान) जिसमें उक्त पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्गगज उल्लेखित है पर जिलाधिकारी महोदय से सुस्पष्ट आख्या हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में वादी द्वारा उपरोक्त मास्टर प्लान की प्रमाणिक्ता हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जी0डी0ए0 से मास्टर प्लान स्वीकृति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष जी0डी0ए0 द्वारा उक्त मास्टर प्लान की स्वीकृति कराये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने का उल्लेख कर पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया हैं। साथ ही गाजियाबाद नगर निगम स्तर से भी जी0डी0ए0 को उक्त ले-आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जो अभी जी0डी0ए0 स्तर पर विचाराधीन है। ले-आउट प्लान की प्रमाणिक्ता व सक्षम स्तर (जी0डी0ए0) से अनुपलब्धता होने के फलस्वरूप वादी द्वारा दाखिल मास्टर प्लान में पार्क के क्षेत्रफल 14400 (वर्गगज) के सम्बन्ध में आख्या दिया जाना सम्भव नही है। जी0डी0ए0 द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक-12.04.2024 व नगर निगम द्वारा जी0डी0ए0 को प्रेषित पत्र दिनांक-10.04.2024 की छायाप्रति संलग्नक-01 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

अवर अभियन्ता (उद्यान)
नगर निगम गाजियाबाद

उद्यान निरीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद

उद्यान प्रभारी
नगर निगम गाजियाबाद

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम गाजियाबाद

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम

नगर आयुक्त
नगर निगम गाजियाबाद

अति महत्वपूर्ण/मान. एन.जी.टी. प्रकरण

नगर निगम गाजियाबाद

(ISO : 9001, 14001,18001 द्वारा प्रमाणित संस्था)

प्रेषक

उद्यान प्रभारी
गाजियाबाद नगर निगम

सेवा में,

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

पत्रांकः– 433 /2024–25 दिनांकः– 10/04/24

विषयः– राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी.टी.रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले–आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मान0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.–710/2023 (IA No.-835/2023) सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, जिसका सम्बन्ध राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जी.टी.रोड माईल्स 8/7 साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क में गाजियावाद नगर निगम द्वारा सड़क, पाथवे का निर्माण तथा पार्क के साथ बनाये जा रहे नाले के सम्बन्ध में पार्क की बाउन्ड्री को शिफ्ट किये जाने से पार्क का क्षेत्रफल कम होने के सम्बन्ध में योजित किया गया है, जिसमें मान0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनॉक 05.02.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्र संख्या–77/एस.टी.–डी.एम./2024 दिनॉक 09.04.2024 के द्वारा मान0 एन.जी.टी. के उक्त पारित अन्तरिम आदेश दिनॉक 05.02.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या चाही गयी है, ताकि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित अग्रित नियत तिथि दिनॉक 18.04.2024 को जिलाधिकारी महोदय की ओर से अनुपालन आख्या दाखिल करायी जा सके।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को विधि अनुसार आख्या प्रेषित किये जाने हेतु राजेन्द्रनगर, साहिबावाद स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी.टी.रोड साहिबाबाद, गाजियावाद का ले–आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

(डा0 अनुज कुमार सिंह)
प्रभारी उद्यान

प्रतिलिपिः– 1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर नगर आयुक्त/वरिष्ठ प्रभारी उद्यान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 अनुज कुमार सिंह)
प्रभारी उद्यान

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगि[क]
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

क्षेत्रीय कार्यालय
यू0पी0एस0आई0डी0ए0,
सी–2, चर्तुथ तल, महालक्ष्मी माल,
आर0डी0सी0 राजनगर
गाजियाबाद(उ0प्र0)
फोन : 2821103
फैक्स : 2822157
वेब साइट : www.upsidc.com
CIN : U26960UP1961SGC002834

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक 730 /एसआईडीए/ दिनांक– 15/05/2024

विषय :– माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No. -710/2023(I.A. No. 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 893/एस0टी0–ए0डी0एम–इ/गा0बाद दिनांक 15.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

तत्सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय, यूपीसीडा, गाजियाबाद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय, यूपीसीडा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

भवदीय,

15/05/24

(प्रदीप कुमार सत्यार्थी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

Annexure-II

कार्यालय न[obscured]न गाजियाबाद

पत्रांकः- 05 [obscured]3-24 दिनांकः- 30/01/2024

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषयः-मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-710/2023 (आई0ए0 संख्या-835/2023) सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय संन्दर्भ संख्या-2021/एन0जी0टी0/ओ0ए0 संख्या-710/2023/24 दिनांक-20.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक-30.11.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत जगजीवन पार्क, राजेन्द्र नगर औद्यागिक कॉलोनी जी0टी0 रोड़ साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित पार्क के क्षेत्रफल की पैमाईश कराते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित राजस्व टीम जिसमें तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व नगर निगम सम्पत्ति विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक-01.06.2023 को स्थल पर स्थलीय निरीक्षण करते हुये आख्या व स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया जो पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

तदानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्तः-

भवदीय

(signature) 30/1/24

अरूण कुमार यादव
(पी0सी0एस)
अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

(signature)

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821010, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 4542 /एस0टी0–डी0एम0/कलेक्ट्रेट/2023 दिनांक : 9 - अगस्त, 2023

नगर आयुक्त,

नगर निगम, गाजियाबाद।

कृपया अवगत कराना है कि श्री सुभाष सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–हिन्द मजदूर किसान पंचायत, उ0प्र0 कार्यालय–बाबू जगजीवन राम कालौनी, राजेन्द्रनगर साहिबाबाद, गाजियाबाद के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 27–05–2023 में उल्लिखित तथ्यों की जॉच तहसीलदार सदर से करायी गयी। तहसीलदार सदर ने अपनी जॉच आख्या दिनांकित 09–06–2023 प्रेषित की है, जिसके अन्तर्गत प्रकरण नगर निगम से सम्बन्धित होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्बन्धित जॉच आख्या मूल रूप में मय संलग्नकों सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : श्री सुभाष सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–हिन्द मजदूर किसान पंचायत, उ0प्र0 कार्यालय–बाबू जगजीवन राम कालौनी, राजेन्द्रनगर साहिबाबाद, गाजियाबाद को उनके उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक 4160/एस.टी./डी.एम./कलेक्ट्रेट गाजियाबाद/2023 दिनांक 29.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। सन्दर्भित प्रकरण श्री सुभाष सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिन्द मजदूर किसान पंचायत उ0प्र0 कार्यालय बाबू जग जीवन राम कॉलोनी राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद के शिकायती प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु महोदय के द्वारा राजस्व टीम गठित की गई, जिसमें श्री प्रतीत सिंह चौहान नायब तहसीलदार (टीम प्रभारी) श्री गजेन्द्र सिंह राजस्व निरिक्षक, साहिबाबाद, श्री मनोज कुमार व सुरेन्द्र सिंह, लेखपाल तहसील गाजियाबाद व नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी, को दिनांक 01.06.2023 को स्थल पर उपस्थित होकर शिकायत में वर्णित तथ्यों का गहन्तापूर्वक परीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जॉच आख्या निम्न प्रकार

35+192
Ri +Ri
8
10 ST-SDM
1-06-23

ग्राम साहिबाबाद परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता खतौनी सं0–205 के खसरा सं0–203/0.4300, 204/0.089, 205/0.4050, 209मि0/0.1900, 216/2/0.076, 218मि0/0.6830, 235मि0/0.7080, 236/1/0.4430, 240मि0/0.7460, 241मि0/0.6400, 218मि0/0.013, 210मि0/0.6960, कुल नम्बरान 12 कुल योग 5.1190 हेक्टेयर पर प्रताप चन्द्र पुत्र ठाकुर दास निवासी ग्राम के नाम संकमणीय भूमिघर (श्रेणी–1क) के रूप में नाम अंकित हैं।

प्रताप चन्द पुत्र ठाकुर दास के नाम के सम्बन्ध में राजेन्द्र नगर इंडस्ट्रीयल ऐरिया में बनी फैक्ट्रीयों व आस–पास के गण मान्य व्यक्तियों से पूछ–ताछ तथा फैक्ट्री स्वामी के बैनामा का अवलोकन भी किया गया हैं। अवलोकन उपरान्त पाया कि बैनामे में विक्रेता का नाम प्रीतम चन्द्र चावला पुत्र श्री लाला ठाकर दास प्रोपराईटर देना एण्ड कम्पनी, 18ए, चौरंगी रोड, कलकत्ता अंकित हैं। जबकि राजस्व अभिलेखों में प्रताप चन्द्र पुत्र ठाकुर दास निवासी ग्राम अंकित हैं। फैक्ट्री स्वामियों के द्वारा भी मूल विकेता को कलकत्ता का निवासी बताया गया हैं। प्रीतम चन्द्र चावला पुत्र ठाकर दास के नाम वर्णित भूमि का स्थलीय सत्यापन व आवश्यक पैमाईश कर, नजरिया नक्शा बनाया गया, नजरिया नक्शा के अनुसार प्रतीम चन्द्र चावला पुत्र ठाकर दास के नाम कुल क्षेत्रफल 51,190 वर्ग मीटर हैं। 33190 वर्ग मीटर में राजेन्द्र नगर इंडस्ट्रीयल ऐरिया व रास्ते बने हुए हैं। पार्क का अतिकमण मुक्त क्षेत्रफल 10880 वर्ग मीटर तथा पार्क का वह क्षेत्रफल जिस पर अवैद्य तरीके से बाबू जग जीवन राम कॉलोनी बनी हुई हैं उसका क्षेत्रफल 7120 वर्ग मीटर हैं। पार्क में हनुमान मंदिर तथा नगर निगम का शुलभ शौचायल बना हुआ हैं, पार्क में एक जग जीवन राम स्कूल भी बना था। जो जर्र–जर्र हालंत में हो गया था जिसको नगर निगम गाजियाबाद ने चुनाव से पूर्व ही गिरा दिया था। वर्तमान में पार्क की देखरेख/मरम्मत का कार्य नगर निगम गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा हैं। प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में विकित भूमि के सम्बन्ध में दाखिल–खारिज खतौनी पर अंकित नहीं हैं। प्रकरण की वस्तु स्थिति महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत हैं।

06/06/2023
सुरेन्द्र सिंह लेखपाल
क्षेत्र........
तह0 व जिला – गाजियाबाद

08/06/2023
RI (S)

12/06/23

संलग्नक–
नजरिया नक्शा।

08/6/23
NT

08-06-2023
(नगर निगम)

ST
SDM

महोदय, संयुक्त स्थलीय जांच व अभिलेखीय आख्या महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

तहसीलदार
गाजियाबाद

11581

ग्राम – [illegible] के खसरा सं॰: 218/[illegible] 0.[illegible], 219/[illegible] 0.[illegible], 2.[illegible] 0.[illegible], 2[illegible] 0.[illegible], 216/2 0.078, 218मि॰ 0.6820, 235मि॰ 0.7080, 228/1 0.[illegible], 217मि॰ 0.74[illegible], 2[illegible]मि॰ 0.[illegible], 2[illegible]मि॰ 0.[illegible], 210मि॰/0.6980 कुल योग 12, कुल रकबा: 5-119 है॰, [illegible] गाजियाबाद

उपरान्त नजरी नक्शा :—

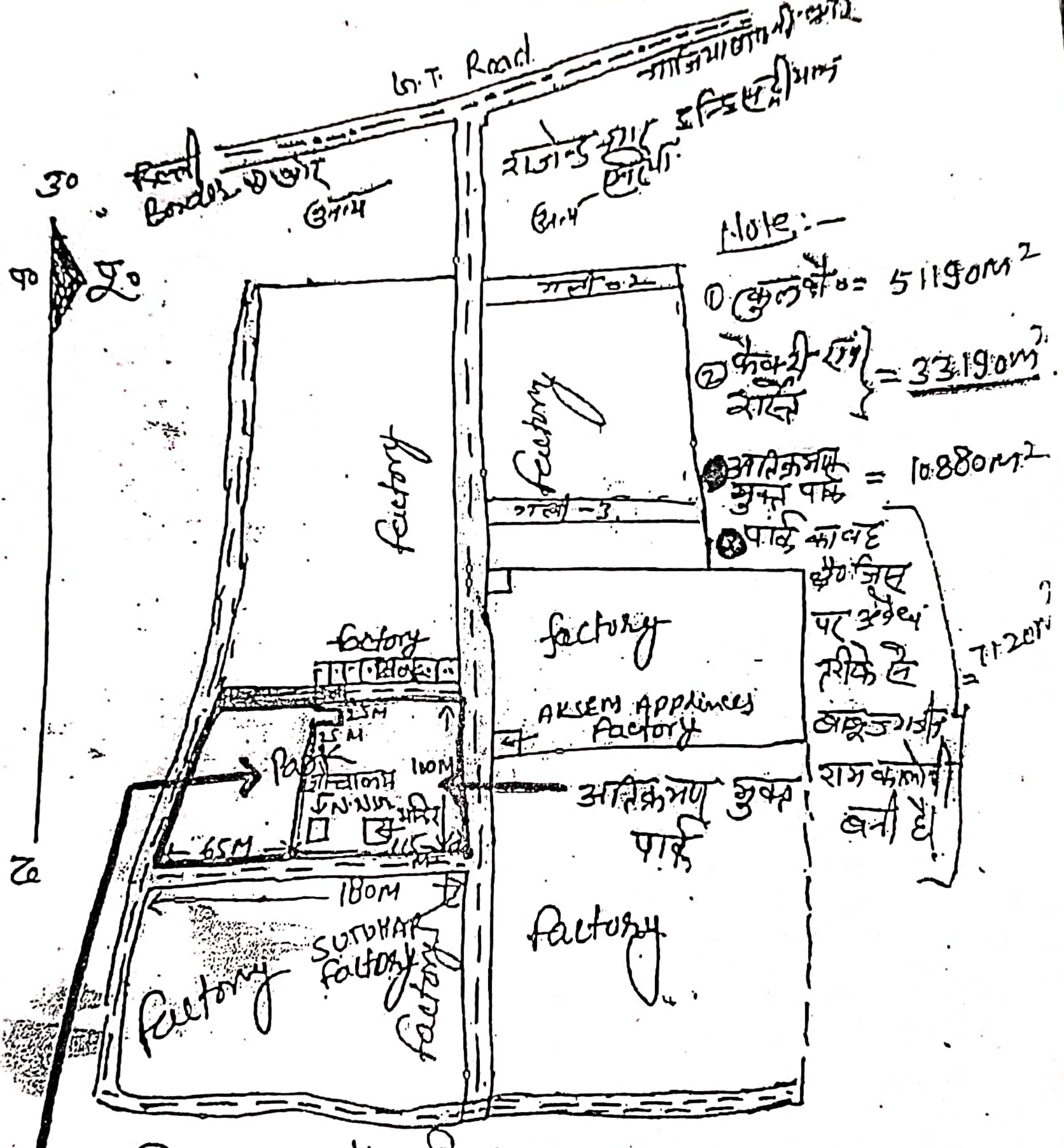

→ पार्क का वह क्षे0 जिस पर अवैध तरीके से बाबू जगजीवन राम कालोनी बनी है!

06/[illegible]/2023
सुरेन्द्र सिंह लेखपाल
क्षेत्र
तह0 व जिला – गाजियाबाद

R.I.

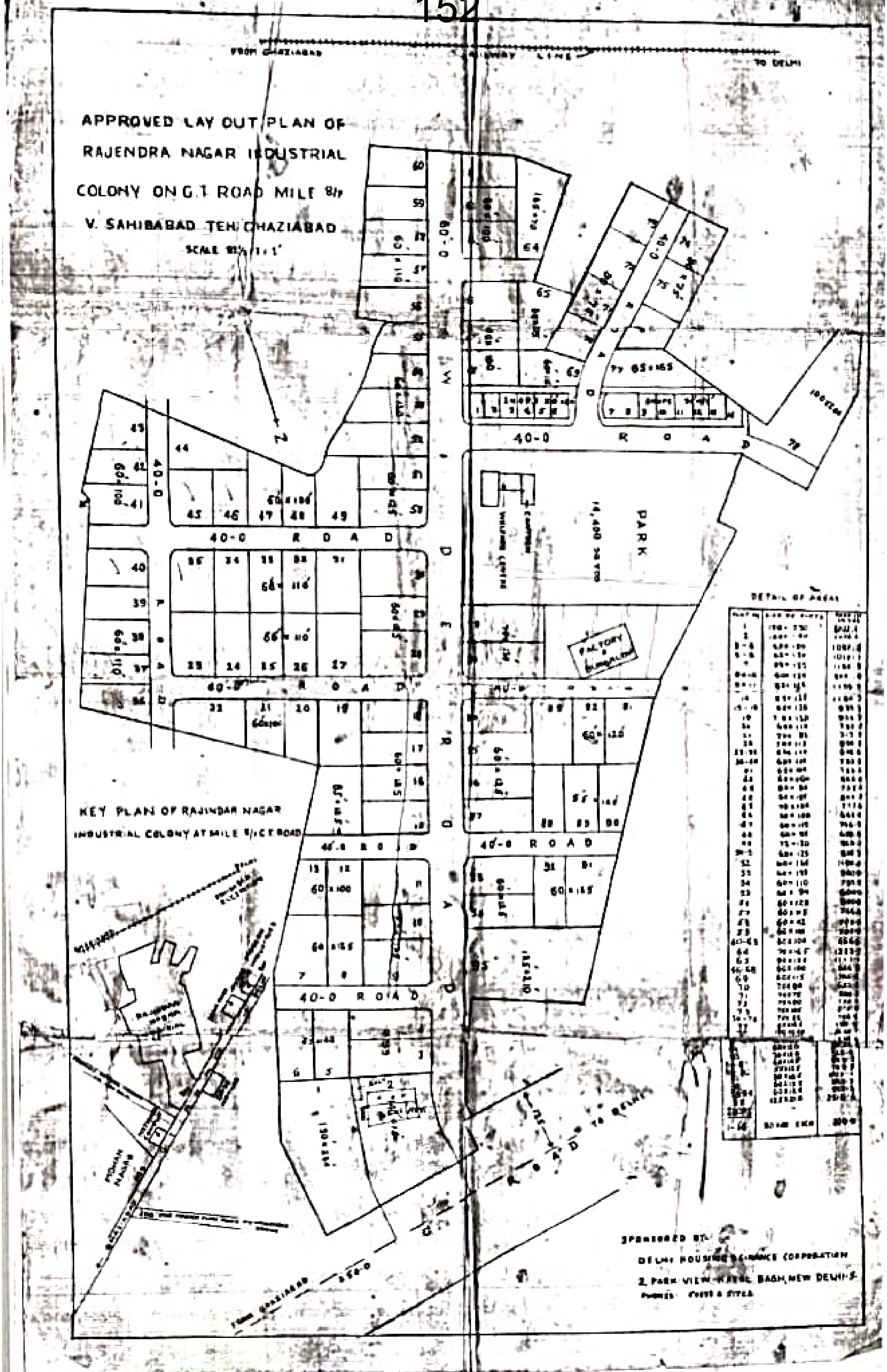
FROM GHAZIABAD
RAILWAY LINE
TO DELHI
APPROVED LAY OUT PLAN OF
RAJENDRA NAGAR INDUSTRIAL
COLONY ON G.T. ROAD MILE
V. SAHIBABAD TEH. GHAZIABAD
PARK
FACTORY
40-0 ROAD
KEY PLAN OF RAJINDAR NAGAR
INDUSTRIAL COLONY AT MILE G.T. ROAD
DETAIL OF AREAS
TO DELHI
FROM GHAZIABAD
SPONSORED BY:-
DELHI HOUSING FINANCE CORPORATION
2, PARK VIEW KAROL BAGH, NEW DELHI-5